

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

सं०-6/पु०अ०-01-04/2016 गृ०आ०

/ दिनांक

अगस्त, 2016

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-326(2)/स्वा०, दिनांक 30.03.2016 द्वारा कुल-28 सामान्य चिकित्सकों की सेवा विभाग को प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं०-4071, दिनांक-25.05.2016 द्वारा 22 सामान्य चिकित्सकों एवं विभागीय अधिसूचना सं०-4633, दिनांक 25.05.2016 द्वारा 2 सामान्य चिकित्सकों का पदस्थापन विभिन्न पुलिस अस्पतालों में किया गया है। दिनांक-30.05.2016 के पश्चात् 01 (एक) चिकित्सक द्वारा योगदान समर्पित किया गया तथा उनका शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया गया।

उपरोक्त के आलोक में निम्नलिखित 01 (एक) चिकित्सक को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पुलिस अस्पताल में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	स्थायी पता	पदस्थापन का स्थान
1	2	3	4	5
1.	डॉ० रचना कुमारी	सारण	द्वारा-श्री गौतम दास, प्लैट नं०-8, दूसरा तल्ला, पी/3 आई०टी०सी० कॉलनी विद्यापुरी, पो०-लोहियानगर (कंकड़बाग), जिला-पटना, 800020	बिहार पुलिस अकादमी, पटना

2. सामान्य चिकित्सक अपने पदस्थापन स्थान पर संबंधित पुलिस अस्पताल के प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष अपने शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र तथा दहेज नहीं लेने-देने से संबंधित शपथ-पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त माने जायेंगे।

3. संबंधित चिकित्सक को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापन स्थान-पुलिस अस्पताल में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(तारकेश्वर प्रसाद)

संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक-6/पु०अ०-01-04/2016 गृ०आ०.....पटना, दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार पुलिस अकादमी, पटना/*संबंधित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

*निबंधित

प्रभारी पदाधिकारी, बिहार पुलिस अकादमी, पटना से अनुरोध है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-326(2) की कंडिका-8 में निहित निदेश के अनुसार उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए विरमित करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट www.home.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

ह०/-

संयुक्त निदेशक


ज्ञापांक-6/पु0अ0-01-04/2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक अगस्त, 2016
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ह0/-
संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक-6/पु0अ0-01-04/2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक अगस्त, 2016
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग
के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक-6/पु0अ0-01-04/2016गृ0आ0.....6158.....पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2016
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक